



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी अरुण उर्फ मुन्ना उर्फ चायनीज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त अरुण उर्फ मुन्ना उर्फ चायनीज पुत्र सुधीर निवासी टीला शहबाज थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 373/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अरुण उर्फ मुन्ना उर्फ चायनीज को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी



नि0 श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित विवेचक



है0का0 रमेश कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





प्रेस नोट

थाना दोघट बागपत

दिनांक 30.07.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 245/2026 धारा 333/64(1)/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 245/2026 धारा 333/64(1)/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- इन्तजार पुत्र सत्तार निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना दोघट ।
- 2-का0 1044 शायद अली थाना दोघट ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 30.07.2026

थाना बडौत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान आबकारी टीम के साथ मिलकर 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 26 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त 02 कार एक हुंडई क्रेटा व मारुती सुजुकी स्विफ्ट बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करी एवं रोकथाम जुर्म जरायम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग



के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 26 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त 02 कार हुंडई क्रेटा न0 UP32KX6052 व मारुती सुजुकी स्विफ्ट नं0 DL3CBS6690 बरामद हुई ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 541/26 धारा 63/72 Ex Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री/तस्करी करता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सूरज पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम सिनोली थाना छपरौली जनपद बागपत

2. अर्जुन पुत्र रातपीर निवासी टीकरी थाना दोपट जनपद बागपत

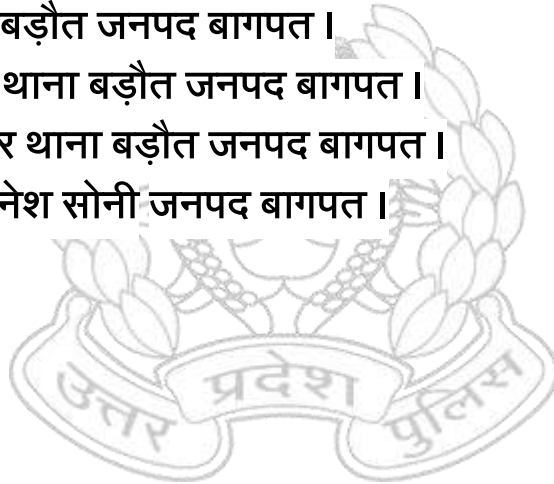
3.रोहित पुत्र रामकुमार निवासी टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 26 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- घटना में प्रयुक्त 02 कार हुंडई क्रेटा न0 UP32KX6052 व मारुती सुजुकी स्विफ्ट नं0 DL3CBS6690

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
3. आबकारी निरीक्षक बड़ौत श्री अमरनाथ जनपद बागपत ।
4. है0का0 422 राजन सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
5. है0का0 750 सुनील कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6.का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
7. का0 399 राहुल चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
8. का0 666 रघुवीर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
9. का0 421 अंकुल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
10. का0 463 पवन नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
11. का0 982 नीरज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
12. आबकारी सिपाही दिनेश सोनी जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी, बागपत

दिनांक 30.07.2026

**थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 102/26 धारा
331(6)/74/115(2)/351(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 102/26 धारा 331(6)/74/115(2)/351(2) बीएनएस में वाँछित चल रहे अभियुक्त आर्यन उर्फ बाटू को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आर्यन उर्फ बाटू पुत्र रामभूल निवासी ग्राम हरियाखेड़ा थाना बालैनी जनपद बागपत

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-म0उ0नि0 दीपिका यादव थाना बालैनी जनपद बागपत
- 2-का0 368 पवन कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत
- 3-का0 163 राजकुमार थाना बालैनी जनपद बागपत